प्रतिलिपि आदेश दिनांक 26-8-13 व
उनवान वाद संख्या 54 अन्तर्गत धारा
143 ज०वि०अधि० ग्राम माधवपुर
परगना अमेठी तहसील जगदीशपुर
जिला सुलतानपुर। रामचन्द्र नारायण
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाम
ग्राम पंचायत आदि। न्यायालय उपजिला-
-धिकारी जगदीशपुर सुलतानपुर। तारीख
फैसला 26-8-13

नोट, आदेश दिनांक 26-8-13 की प्रमाणित छायाप्रति वादी
के साथ संलग्न है।

न्यायालय उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर-सुलतानपुर ।

वाद संख्या- 54

अन्तर्गत धारा-143 जमींदारी विनाश अधिनियम
ग्राम माधवपुर परगना अल्देमऊ तहसील जयसिंहपुर
जिला-सुलतानपुर ।

रामचन्द्र नारायण शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कलावती देवी हरिश्चन्द्र सिंह शिक्षण संस्थान द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र सिंह ।

बनाम

ग्राम पंचायत बीरजगदीशपुर द्वारा ग्रामप्रधान बीरजगदीशपुर परगना अल्देमऊ तहसील जयसिंहपुर जिला-सुलतानपुर एवं अन्य ।

निर्णय

रामचन्द्र नारायण शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कलावती देवी हरिश्चन्द्र सिंह शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित सचिव हरिश्चन्द्र सिंह पुत्र रामअवध सिंह ग्राम माधवपुर परगना अल्देमऊ तहसील जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर ने गाटा संख्या 137 रकबा 1-378हे0 स्थित ग्राम माधवपुर में से रकबा 0-300हे0 भूमि को अकृषिक/आबादी भूमि घोषित किये जाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है । वादी ने अपने दावे के साथ वादग्रस्त भूमि की अद्यावधिक नकल खतौनी एवं दस्तावेज बैनामें की छाया प्रति संलग्न किया है ।

दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्पूर्ण पत्रावली स्थलीय जाँच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश सहित तहसीलदार जयसिंहपुर को भेजी गयी । तहसीलदार जयसिंहपुर ने क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक से निर्धारित प्रारूप नियम-135ज0वि0अ0 पर आख्या प्राप्त कर अपनी आख्या दिनांक 24-8-13 पत्रावली में संलग्न कर प्रेषित किया है जिसके द्वारा उल्लेख किया गया है कि गाटा संख्या-137 रकबा 1-378हे0 स्थित ग्राम माधवपुर के आंशिक रकबा 0-152हे0 पर वादी रामचन्द्र नारायण शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कलावती देवी हरिश्चन्द्र शिक्षण संस्थान द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र सिंह पुत्र रामअवध सिंह निवासी ग्राम माधवपुर परगना अल्देमऊ तहसील जयसिंहपुर जिला-सुलतानपुर द्वारा मकान व पिलर बनाया गया है जो कृषि प्रयोजन में उपयोग नहीं हो रहा है । भूमि अकृषिक है । अन्त में तहसीलदार ने उक्त भूमि/गाटे के आंशिक रकबा 0-152हे0 को अकृषिक/आबादी भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति किया है ।

मैने दावे के साथ वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या-137 के सम्बन्ध में दाखिल वर्तमान नकल खतौनी एवं बैनामें की छाया प्रति तथा तहसीलदार जयसिंहपुर आख्या दिनांक 24-8-13 का अवलोकन एवं परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि गाटा संख्या-137 रकबा 1-378हे0 स्थित ग्राम माधवपुर वादी की संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है जिसके आंशिक रकबा 0-152हे0 पर वादी ने मकान व पिलर बनाया है जिस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है । वर्तमान समय में उक्त भूमि अकृषिक हो चुकी है जिसे अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं है ।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में ग्राम माधवपुर परगना अल्देमऊ तहसील जयसिंहपुर जिला-सुलतानपुर की वर्तमान खतौनी सन् 1416-1421 फसली की खाता संख्या-291 के अन्तर्गत अंकित गाटा संख्या-137 रकबा 1-378हे0 के आंशिक रकबा 0-152हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि को भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है । इस आदेश का अंकन उक्त खाते/गाटे के सम्मुख प्रविष्टि वाले कालम में

......02 पर

किया जाय तथा भविष्य में निर्मित होने वाली खतौनियों में भी इस आदेश का अंक बराबर होता रहेगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रमाणित प्रति उप निबंधक जयसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जाय।

(नलिनी कान्त सिंह)
उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर,
सुलतानपुर।
26-8-13

[illegible]	1135
[illegible]	23-9-13
[illegible]	13-00
[illegible]	24-9-13
[illegible]	24-9-13

24/9/13

सत्य-प्रतिलिपि

[illegible]
जयसिंहपुर सुलतानपुर
24/9/13